न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2710-एक/2014 - विरुद्ध आदेश दिनांक 16-7-14 - पारित व्दारा - राजस्व निरीक्षक तहसील बासोदा जिला विदिशा - प्रकरण कमांक 161 अ 12/2013-14 अपील

कमलेश कुमार पुत्र मोतीलाल भावसार
सावरकर चौक गंज बासौदा
जिला विदिशा, मध्य प्रदेश ---आवदेक

विरुद्ध

श्रीमती आशावाई पत्नि जगदीश कुशवाह
ग्राम मढिया पोनिया तहसील गंज बासोदा
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0बी0शर्मा)

(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक 1 मार्च; 2016 को पारित)

राजस्व निरीक्षक तहसील बासोदा जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 161 अ 12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 16-7-14 के विरुद्ध यह निगरानी म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा-50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनावेदक की ओर से उसके स्वामित्व की ग्राम मढिया पोनिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 190/3/1 रकबा 0.600 हैक्टर तथ 190/3/3 रकबा 0.101

हैक्टर के सीमांकन का आवेदन तहसीलदार बासोदा को दिया गया, जिस पर राजस्व निरीक्षक तहसील बासोदड़ा ने प्रकरण क्रमांक 161 अ 12/2013-14 दर्ज किया जाकर 3 पटवारियों का दल गठित किया जाकर सीमांकन कार्यवाही हुई, जिस पर आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की। पक्षकारों की सुनवाई के वाद आपत्ति आवेदन निरस्त करते हुये राजस्व निरीक्षक बासौदा ने आदेश दिनांक 16-7-14 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में दर्शाए आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि नक्शा तैयार करते समय नक्शे में आकृति कम होने से रकवा कम हुआ है मौके पर आवेदक का कोई कब्जा नहीं है सीमांकन गलत किया गया है एंव आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया एंव की गई आपत्ति पर विचार नहीं किया गया है। सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित कर दी गई है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यदि आवेदक यह मानता है कि नक्शे में आकृति कम हुई है तब सक्षम न्यायालय में संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कार्यवाही कराई जा सकती है। जहां तक आवेदक की भूमि प्रभावित होने का प्रश्न है ? सही सही पैमायश की कार्यवाही हो - इस उद्धेश्य को ध्यान में रखकर निम्नानुसार दल गठित कर सीमांकन कराया है -

1. महेन्द्र जैन पटवारी

2. रामस्वरूप पटवारी

3. किशनलाल मंडावी

उक्त दल व्दारा 13-7-2014 को मौके पर जाकर मेढ़िया कास्तकारों के समक्ष सीमांकन किया है जिसमें किसी प्रकार की कमवेशी नजर नहीं आती है और इन्हीं कारणों से राजस्व निरीक्षक ने आवेदक की आपत्ति अमान्य की है। आवेदक यदि स्वयं् की भूमि सीमांकन से प्रभावित होना मानता है - आवेदक स्वयं् की भूमि का प्रथक से सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक तहसील बासोदा जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 161 अ 12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 16-7-14 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर